सं0- 77/2015/609 /62-2-2015-19एम0आई0/2014टीसी

प्रेषक,

चन्द्र प्रकाश,
प्रमुख सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
लघु सिंचाई विभाग,
उ0 प्र0 लखनऊ।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2 लखनउ- दिनांक- 12 जून,2015

विषय- लघु सिंचाई विभाग के अन्तर्गत चेकडैमों के निर्माण हेतु गाइड लाइन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-1194/ल0सिं0/कार्य/चेकडैम नि0-4/2014-15, दिनांक 19-01-2015 एवं पत्र सं0-जी-691/ल0सिं0/कार्य/ST-ST-Reg-1/2014-15, दिनांक 18-02-2015 का संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लघु सिंचाई विभाग के अन्तर्गत चेकडैमों के निर्माण में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जायेगी:-

(1) चेकडैमों की ड्राइंग/डिजाइन लघु सिंचाई विभाग द्वारा दिसम्बर-2005 में प्रकाशित पुस्तिका DESIGN MINOR IRRTGATION WORK के अध्याय दो में उल्लिखित अभिकल्पों/सिद्धांतों के आधार पर की जायेगी।

(2) चेकडैम निर्माण हेतु स्थल चयन के संबंध में शासनादेश सं0-2858-1/62-2-2006-2/4(49)/2006, दिनांक 19-9-2006 में उल्लिखित दिशा निर्देश के समस्त प्रस्तर प्रभावी होगें, मात्र प्रस्तर दो(ब) मे उल्लिखित फरवरी माह तक आगणित आवश्यकता अनुसार जल प्रवाह की उपलब्धता की शर्त को शिथिल करते हुए समय सीमा नवम्बर माह तक अनुमन्य होगी। चेकडैम निर्माण हेतु स्थल चयन के संबंध में मुख्य अभियंता, लधु सिंचाई के पत्र सं0-जी5529, दिनांक 23-9-2006 द्वारा जारी दिशा-निर्देश के बिन्दु सं0-10 को भी तदनुसार संशोधित समझा जाये।

[redacted] (3) चयनित स्थल की उपयुक्तता का उत्तरदायित्व संबंधित अधिशासी अभियंता का होगा।

(4) `&50.00 लाख से अधिक लागत के चेकडैम की डिजाईन/ड्राइंग का परीक्षण निकटवर्ती राजकीय/रीजनल इंजीनियरिंग कालेज द्वारा कराया जाएगा एवं तत्क्रम में ही चेकडैम निर्माण का प्रस्ताव स्वीकृत किया जायेगा।

(5) चेकडैम निर्माण के समस्त प्रसताव शासनादेश सं0-2181/62-1-2000-11एक्यू/2000, दिनांक 02-12-2014 में दिए गये निर्देश के अनुसार संबंधित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

जिला स्तरीय तकनीकी समन्वय समिति से अनुमोदित कराये जायेगें तथा उसके उपरांत ही निर्माण कराया जायेगा।

(6) चेकडैम निर्माण के उपरांत तीन वर्ष तक यदि चेकडैम में कोई क्षति/टूट-फूट होती है, तो उसकी मरम्मत का उत्तरदायित्व संबंधित ठेकेदार का होगा एवं संबंधित ठेकेदार द्वारा ससमय मरम्मत का कार्य पूर्ण कराया जायेगा। तीन वर्ष तक किसी भी प्रकार की क्षति/टूट-फूट संबंधी मरम्मत का प्राविधान भी निविदा आमंत्रित करते समय किया जायेगा।

(7) संबंधित अधिशासी अभियंता द्वारा निर्माण के दौरान चेकडैम निर्माण में प्रयुक्त होने वाली सीमेन्ट कंक्रीट मिक्स तथा सीमेन्ट मोर्टार मिक्स का न्यूनतम एक-एक सैम्पुल लेकर राजकीय विभागों यथा लोक निर्माण/सिंचाई/ग्रामीण अभियंत्रण विभाग की लैब से जॉच करायी जायेगी और यदि प्रतिकूल परिणाम प्राप्त होते है तो संबंधित ठेकेदार एवं अवर अभियंता के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। जब तक सैम्पुल की जॉच रिपोर्ट प्राप्त नही होगी, तब तक ठेकेदार की सिक्योरिटी मनी रिलीज नही की जायेगी।

3- चेकडैम निर्माण के संबंध में विभिन्न् स्तरों के दायित्वों के निर्धारण निम्नवत किया जाता है:-

क्र0सं0	कार्य का विवरण	उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी
1-	चेकडैम निर्माण हेतु ग्राम सभा का प्रस्ताव कराना।	चेकडैम के निर्माण हेतु संबंधित ग्राम सभा द्वारा प्रस्ताव पारित कराकर प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित अवर अभियंता का होगा।
2-	स्थल चयन करना।	संबंधित सहायक अभियंता द्वारा स्थल चयन किसा जायेगा। स्थलों के चयन के संबंध में कोई विवाद होने पर अधिशासी अभियंता से निर्णय कराया जायेगा, जो अंतिम होगा।
3-	डिजाइन/ड्राइंग के लिए डाटा इकटठा करना।	अवर अभियंता इसके लिये पूर्णरूप से उत्तरदायी होगें।
4-	डिजाइन/ड्राइंग एवं परियोजना तैयार/विरचित करना।	सहायक अभियंता एवं अधिशासी अभियंता इसके लिये पूर्णरूप से उत्तरदायी होगे।
5-	प्राक्कलन तैयार/गठित करना।	संबंधित अवर अभियंता द्वारा सहायक अभियंता की देखरेख में प्राक्कलन तैयार/गठित किया जायेगा।
6-	डिजाइन/ड्राइंग की चेकिंग कर अनुमोदित करना।	अधीक्षण अभियंता कार्यालय में तैनात सहायक अभियंता /वैयक्तिक सहायक के माध्यम से संबंधित अधीक्षण अभियंता द्वारा अनुमोदित किया जायेगा।
7-	चेकडैम का लेआउट तैयार करना।	संबंधित अवर अभियंता द्वारा लेआउट तैयार किया जायेगा। सहायक अभिंयता यथा आवश्यकता उपस्थित रहेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

8-	मृदा खुदाई/ चिनाई/ कंक्रीटिंग एवं अन्य समस्त कार्य कराना, जिसमें नाला विकास भी सम्मिलित होगा।	संबंधित अवर अभियंता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
9-	कार्य स्थल पर ठेकेदार द्वारा अण्डर साइज/ओवर साइज सामग्री को लाकर प्रयोग करने की प्रवृति को हतोत्साहित करना तथा निर्धारित विशिष्टियों के अनुसार ही कार्य में प्रयोग करना।	अवर अभियंता एवं सहायक अभियंता इसके लिये ठेकेदार को मौखिक/लिखित रूप से समझाकर निर्धारित विशिष्टियों की सामग्री का प्रयोग सुनिश्चित करायेंगे।
10-	कान्क्रीटिंग का कार्य	1- Hidden Parts में Concreting (यथा Foundation, Cistern, Apron) अनिवार्य रूप से सहायक अभियंता की उपस्थिति में की जायेंगी, जो इसके प्रति उत्तरदायी होंगे। उनके द्वारा माप पुस्तिका के संगत पृष्ठ पर तिथि युक्त मापी चेकिंग का अंकन किया जायेगा। 2- अन्य Concreting कार्य संबंधित अवर अभियंता की उपस्थिति में किया जायेगा।
11-	चेकडैम का हस्तान्तरण तथा उस के उपरांत रख-रखाव करना।	चेकडैम निर्माण का कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाने के पश्चात इसे ग्राम सभा को हैण्ड ओवर किये जाने का दायित्व संबंधित अवर अभियंता का होगा तथा रख-रखाव संबंधित ग्राम सभा द्वारा किया जायेगा।

4- प्राक्कलन स्वीकृत करना/टेण्डर आमंत्रित/स्वीकृत करना, अनुबंध गठित करना/कार्यादेश जारी करना, डिजाइन/ड्राइंग में परिवर्तन की स्थिति में संशोधित डिजाइन एवं ड्राइंग तथा Variation स्वीकृत करना/कराना व Payment करने संबंधी कार्यो के लिये लोक लेखा पद्धति के अन्तर्गत विस्तृत निर्देश जैसा कि वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड (VI) एवं समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत सुसंगत शासनादेशों एवं विभागीय आदेशों में प्राविधानित है, के अनुसार अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता एवं अवर अभियंता उत्तरदायी होंगे।

भवदीय,
ह0/
(चन्द्र प्रकाश)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

सं0-77/2015/609(1)/62-2-2015, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- समस्त मण्डलायुक्त, उ0 प्र0 ।

2- संबंधित जिलाधिकारी, उ0 प्र0 ।

3- समस्त अधीक्षण अभियंता, लधु सिंचाई वृत्त, उ0 प्र0।

4- समस्त अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई ख्ण्ड, उ0 प्र0।

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ह0/

(एस0पी0 सिंह)

अनु सचिव।

http://shasanadesh.upnic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।